Indian Forests act, 1947 and under Section 29 of the Wildlife Protection Act. This matter is in the possession of the State Government. We will take suitable action.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Madam, they are taking it outside the country.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Smuggling of medicinal plants is going on from Kerala to other countries. What action are you going to take?

SHRI T.R. BAALU: Madam, if any specific complaint comes to me, I will definitely take action.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do you have any specific complaint?

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Madam, it is a big menace. It was reported even on the Surya TV. Mr. Minister, your Sun TV took the initiative to uleash the reality. There was a big report in the newspapers. That is why I am asking, "Would you hold an inquiry into it?"

THE DEPUTY CHAIRMAN: You hold an inquiry and find out the facts.

SHRI T.R. BAALU: Madam, I will definitely take cognisance of hon. Member's concern. I will see to it that some action is taken.

'इफ्को' की इक्विटी

269. श्री उदय प्रताप सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इफको (इंडियन फारमर्स फर्टीलाइजर को-आपरेटिव) द्वारा सरकारी इक्विटी लौटाये जाने पर विचार किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकारी इक्विटी कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(क) जी, हां।

(ख) इफ्को में भारत सरकार की इक्विटी, प्रत्यार्वतन शुरू होने से पूर्व 289.61 करोड़ रू थी और आज की तारीख में यह घटकर 133.00 करोड़ रू0 (भारत सरकार की 156.61) करोड़ रू0 की इक्विटी लौटाने के बाद) रह गई हैं।

Equity of IFFCO

†*269. SHRI UDAY PRATAP SINGH: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) Whether IFFCO (Indian Farmers Fertilizers Cooperative) is considering to return Government equity; and

(b) If so, the details thereof alongwith the quantum of Government equity?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SUKHDEV SINGH DHINDSA): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) GoI's equity in IFFCO was Rs. 289.61 crore prior to the commencement of repatriation and this has, as on date, reduced to Rs. 133.00 crore (after retiring GOI equity of Rs. 156.61 crore).

श्री उदय प्रताप सिंह : आदरणीय उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो इक्विटी वापस लेने का निर्णय लिया गया था, उसके पीछे सरकार की समझ क्या थी? जो 133 करोड़ की राशि बकाया रह गई क्या अब इसे भी वापस लेना है या यहीं पर विराम लगाने का काम किया जाएगा?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : उपसभापति जी, यह गवर्नमेंट नें नही ली है बल्कि यह मल्टी स्टेट को आपरेटिव सोसाइटी एक्ट, 2002 में अमेंडमेंट हुआ है। इसके तहत भारत सरकार की इक्विटी वापस कर सकते है और इफ्को सोसाइटी ने अपने आप **वापस** कर दी है। गवर्नमेंट
ने नही कहा है कि हम अपनी इक्विटी वापस लेंगे, यह तो उन्होंने वापस कर दी है। उन्हें पावर मिली है इसलिए उन्होंने वापस की है।

श्री उदय प्रताप सिंह: उपसभापति जी, मेरा सवाल तो यह कि अगर इसके ऊपर, इफ्को पर इफ्को गवर्नमेंट का नियंत्रण नही रहेगा-आप जो सब्सिडी दे रहे है वह पहले ही दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में नगण्य है, अगर आप और कम कर रहे है **या कम नही कर रहे है** तो उसका सही उपयोग हो सके और किसानों हित प्रभावित न हों, जब आपकी इक्विटी ही उसमें नही रहेगी तब सरकार उन पर क्या नियंत्रण रखेगी?

† Original notice of the question was received in Hindi.

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : उपसभापति जी, यह पार्लियसमेंट ने एक्ट पास किया है, इसमें हम कुछ नही कर सकते। यह पार्लियसमेंट का एक्ट है, मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जो तरमीम हुई है, उसके तहत वे भारत सरकार की इक्विटी वापस कर सकते है, गवर्नमेंट उसे नही रोक सकती है।

श्री उदय प्रताप सिंह: उपसभापति जी, समझ में नही आता कि क्या सरकार हाथ पर हाथ रखे किसानों के हितों पर प्रभाव पड़ते हुए देखती रहेगी और यही कहती रहेगी। किसानों के लिए कुछ करने के लिए तैयार होगी कि नही, यह बात समझ में नही आती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिससें सत्तर से अस्सी प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में खेती पर निर्भर है । उनके हितों के लिए हम केवल यह नहीं मान सकते कि आपकी उनके लिए किसी प्रकार की सोच है, आपको इसके स्थान पर कोई और दूसरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा । क्या सरकार इसके लिए कुछ सोच रही है या नहीं?

श्री सुखदेव सिंह ढ़िडसा : उपसभापति जी, मैं ऑनरेबल मैम्बर्स को बता दूं कि इफ्को किसानों की अपनी संस्था है, इसका मैम्बर ही किसान सोसाइटी बनती है, इसका मैम्बर और कोई नहीं बन सकता है। इफ्को किसानों की मल्टी स्टेट सोसाइटी है । इसमें किसानों के हितों को देखने या नहीं देखने के लिए इग्नोर की बात कैसे कह सकते हैं।

Implementations of famine code

*270. SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have prevailed upon the States to follow the accepted norms and guidelines for tackling the drought situation;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the names of the States which have formulated and executed famine code?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI RAJNATH SINGH): (a) to(c)

The guidelines to deal with servere drought are variously referred to as Famine Code, Relief Code and Scarcity Manual etc. These are